पत्र सं0–5/बजट (भ0नि0) 5–11/2016 –सा0– 2519/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 9/3/2017

विषय :– राजपत्रित पदाधिकारियों को आवास आवंटन के संबंध में।

महाशय,

सरकार के द्वारा जिलों में पदस्थापित राजपत्रित पदाधिकारियों के आवासन हेतु समाहरणालय पूल के अन्तर्गत आवासों का निर्माण कराया गया है। प्रायः देखा जा रहा है कि जिलों में आवास खाली रहने के बावजूद समाहरणालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को आवास आवंटित नहीं किया जा रहा है। आवासन की व्यवस्था नहीं होने पर समाहरणालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को कठिनाई होती है तथा सरकार के कार्य भी प्रभावित होते है।

अतः निदेश दिया जाता है कि जिला में समाहरणालय पूल के रिक्त आवास उपलब्ध होने पर समाहर्त्ता के नियंत्रणाधीन समाहरणालय में पदस्थापित एवं कार्यरत राज्य सरकार की सभी सेवाओं के पदाधिकारियों को आवास आवंटित किया जाए। राज्य सरकार के वैसे सभी पदाधिकारी, जो राज्य की किसी सेवा के समूह 'क' या 'ख' के सदस्य हैं एवं जिनका वेतनमान पे बैंड–2 (ग्रेड पे–4800 रू0) या इससे अधिक है, समाहरणालय पूल के अन्तर्गत आवास आवंटन के लिए पात्र होंगे तथा आवंटन हेतु उनका दावा उनके द्वारा आवास आवंटन हेतु आवेदन की तिथि के आधार पर क्रमवार विचारणीय होगा।

यदि किसी जिला में राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए अतिरिक्त संख्या में सरकारी आवास निर्माण की आवश्यकता हो तो आवश्यकतानुसार नये सरकारी आवास निर्माण किये जाने से संबंधित प्रस्ताव एवं तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन सरकार को उपलब्ध कराया जाए।

विश्वासभाजन

(आमिर सुबहानी) 2.3.17
सरकार के प्रधान सचिव